

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई-69)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/1763-1805 दिनांक 17-5-12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत कार्य चरण में चारागाह विकास कार्य प्राथमिकता पर लिये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत कार्य चरण प्रारम्भ हो चुके हैं एवं वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में रदीकृत अधिकांश परियोजनाओं में कार्य चरण के अन्तर्गत विभिन्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन परियोजनाओं में कार्य चरण प्रारम्भ हो चुका है, उन परियोजनाओं में चारागाह विकास कार्य प्राथमिकता पर अदिलम्ब प्रारम्भ किये जायें। चारागाह विकास कार्य हेतु भूमि उपचार, फैंसिंग आदि कार्य मानसून से पूर्व ही सम्पादित कर लिया जाये, ताकि मानसून प्रारम्भ होने पर वृक्षारोपण, घास बुवाई इत्यादि का कार्य समय पर सम्पादित किया जा सके।


चारागाह विकास कार्य इसी वर्ष सम्पादित किया जाना आवश्यक है, ताकि परियोजना अवधि पूर्ण होने तक चारागाह पूर्ण रूप से विकसित हो सके एवं इनका समुचित रख रखाव सुनिश्चित हो सके। उक्त निर्देशों की शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जायें।


निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-69)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/1763-1805 दिनांक 17-5-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (IWMP-I.II.III.IV.V.VI.VII)/परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।


निदेशक